BUREAU OF INDIAN STANDARDS
ACCOUNTS DEPARTMENT

Ref: Accts/26:6 28th June 2018

Subject: Standard Operating Procedure for Processing and Payment of Testing Charges –reg

This is in continuation of Accounts Department Circular No. BIS HQ/ACCOUNTS/ CIRCULAR(05)/2018 dated 28.05.2018 on the subject cited above.

In view of the difficulties faced by some branches in processing of old testing charges bills in accordance with the instructions given under Note 1 of the circular dated 28.05.2018, it has been decided in consultation with DDG(Certification) that the following procedure may be followed for processing of old testing charges bills pending with ROs/BOs:

(i) **Testing Charges Bills submitted by Outside Labs with all relevant details prior to implementation of GST i.e. before 01.07.2017 and are pending in BIS**: In such cases, the Input Tax Credit(Cenvat Credit) cannot be availed now and will be required to be foregone. Therefore, such Bills may be processed without availing Cenvat Credit and the whole expenditure may be booked under 'Testing Charges'.

(ii) **Testing Charges bills pending with BIS for payment due to some clarification sought from outside labs prior to implementation of GST i.e. before 01.07.2017:** In **s**uch cases if the clarification sought is received after one year from the date of the Testing Charges Bill or after implementation of GST (i.e. 01.07.2017), then the Testing Charges Bills may be processed for payment excluding service tax component.

(Vinod Kumar)
Director(Accounts)

Circulated through Intranet to Heads of all ROs/BOs/Laboratories

<u>भारतीय मानक ब्यूरो</u>

लेखा विभाग

संदर्भ : लेखा/26:6 28 जून 2018

विषय: परीक्षण शुल्क को प्रोसेस करने और भुगतान के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया के संबंध में ।

यह उपर्युक्त विषय पर दिनांक 28.5.2018 के लेखा विभाग के परिपत्र सं. बीआईएस मुख्या./लेखा/परिपत्र(05)/2018 के संदर्भ में है।

दिनांक 28.05.2018 के परिपत्र के नोट 1 में दिये गए निर्देशों के अनुसार, कुछ शाखा कार्यालयों को पुराने परीक्षण शुल्क बिलों की प्रोसेसिंग में कठिनाइयां आ रही है जिसे देखते हुए, डीडीजी (प्रमाणन) के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि शा.का / क्षे.का. लंबित पुराने परीक्षण शुल्क बिलों की प्रोसेसिंग के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण करें :

(i) **बीआईएस में लंबित और जीएसटी लागू होने से पूर्व यानी 01.07.2017 से पहले के सभी संबद्ध विवरणों के साथ बाहरी प्रयोगशालाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षण शुल्क बिल** : ऐसे मामलों में, इनपुट टैक्स क्रेडिट (सेनवैट क्रेडिट) का लाभ नहीं उठाया जा सकता है और इसका फारगोन करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, ऐसे बिलों को सेनवेट क्रेडिट का लाभ उठाए बिना प्रोसेस किया जा सकता है और पूरा व्यय 'परीक्षण शुल्क' के अंतर्गत निर्धारित किया जा सकता है।

(ii) **जीएसटी यानी 01.07.2017 लागू होने से पूर्व, बाहरी प्रयोगशालाओं से मांगे गए स्पष्टीकरण के कारण बीआईएस के पास भुगतान के लिए लंबित परीक्षण शुल्क बिल :** ऐसे मामलों में यदि परीक्षण शुल्क बिल की तिथि से एक वर्ष बाद या जीएसटी (यानी 01.07.2017) के लागू होने के बाद स्पष्टीकरण प्राप्त हुआ है, तो सेवा कर घटक को छोड़कर परीक्षण बिल को भुगतान के लिए प्रोसेस किया जा सकता है।

(विनोद कुमार)
निदेशक(लेखा)

सभी शा.का/क्षे.का/प्रयोगशालाओं के प्रमुखों को इंट्रानेट के माध्यम से परिचालित